न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
पीठासीन अधिकारी अभिलाषा आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 04/2014 (प्रार्थना पत्र अं.धारा 251(क)

1. बालीदेवी पत्नी रामावतार जाति माली निवासी घूमचक्कर सर्कित वार्ड नं. 3 नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
2. मणीशंकर पुत्र मूलचन्द जाति माली निवासी मोतीराम की ढाणी नवलगढ तहसील नवलगढ

—आवेदक

बनाम

1. दुर्गाराम पुत्र सुरजा
2. प्रभाती स्त्री भोमाराम
3. घीसालाल
4. हरीराम पससुत्रान भोमाराम जाति माली निवासी वार्ड नं. 08 खातीया वाली ढाणी नवलगढ
5. मो. शरीफ
6. अब्दुल शरिफ
7. अब्दुल सलाम
8. सिराजूद्धीन पुत्रान अब्दुल हमीद जाति व्यापारी मुसलमान निवासी हनुमानगढ बगीची के पास वार्ड नं. 16 नवलगढ तहसील नवलगढ
9. मनोहरीदेवी स्त्री मंगला
10. राजेन्द्र
11. दिनेश पुत्रान मंगलाराम जाति समस्त माली निवासीगण वार्ड नं. 08 गणेशपुरा नवलगढ तह0 नवलगढ
12. पुष्पादेवी पुत्री मंगलाराम पत्नी महेन्द्र कुमार सैनी जाति माली निवासी झरडावाली ढाणी तन बिरोल तहसील नवलगढ
13. संतोषदेवी पुत्री मंगलाराम पत्नी सांवरमल सैनी जाति माली निवासी झरडावाली ढाणी तन बिरोल
14. तहसीलदार, नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

—अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अं0धारा 251 (क) रा0का0संशोधन अधिनियम
का संशोन अधिनियम 2010
निर्णय

निर्णय दिनांक 29.01.2019

आवेदकगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम दुर्जनपुरा तहसील नवलगढ की तन में भूमि ख.न. 445 रकबा 1.10 है0 स्थित है इस भूमि का खातेदार काश्तकार आवेदकगण है तथा ख.न. 446 रकबा 2.72 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार अनावेदक नं. 1 लगायत 13 है इसी अनुसार काश्त व कब्जा है। नकल चालू जमाबंदी व नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थी का खेत ख.न. 445 में आने जाने के लिये मौके पर कोई रास्ता नही है जिसके कारण प्रार्थीगण को अपने खेत को काश्त करने में बडी कठिनाई का सामना करना पडता है। प्रार्थीगण को अपने खेत में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता भी नही है। प्रार्थीगण को अप्रार्थी नं. 1 लगायत 13 के खेत ख.न 446 के पूर्वी सींव के सहारे सहारे नक्शा ट्रेस में लाल लाईन से जो रास्ता दिखाया गया है के अनुसार रास्ता 20 फीट चौडा मिलने पर प्रार्थीगण को अपने खेत में आने जाने लाट बाट करने काश्त करने में सहूलियत रहेगी तथा प्रार्थीगण को उक्त रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता भी है इसलिये प्रार्थी के लिये उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। प्रार्थीगण को अनावेदक नं. 1 लगायत 13 के खेत ख.न. 446 के पूर्वी सीमा के सहारे 20

फीट चौडा रास्ता मौके पर अप्रार्थी नं. 1 लगायत 13 द्वारा दिये जाने पर प्रार्थीगण अप्रार्थी नं 1 लगायत 13 की जमीन की कीमत डीएलसी की दर की दौगूना देने को तैयार" या माननीय न्यायालय द्वारा तय रकम देने को तैयार हूं। प्रार्थी को अप्रार्थी नं. 1 लगायत 13 द्वारा रास्ता नही देने व राजस्थान काश्तकार अधिनियम के प्रभाव में आने से उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन हे कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे व आवेदक को अपने खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु नजरीये नक्शे में लाल रंग से दर्शाई गई अप्रार्थीगण की भूमि ख.न. 446 के पूर्वी कोने में सीव के सहारे सहारे 20 फीट चौडा रास्ता प्रार्थी को दिलाया जावे तथा उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे व प्रार्थी व अप्रार्थी नं. 1 लगायत 13 को रास्ते की भूमि के हर्जाने के रूप में डीएलसी की दर से दोगूनी अदा करने को तैयार है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी अनावेदकगण की गई। अनावेदकगण बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अतः तहसीलदार नवलगढ से मौका रिपोर्ट ली गई जिसके अनुसार भूमि ख. न. 446 रकबा 2.72 है0 की खातेदारी नाराणी पत्नी सुरजा दुर्गाराम पुत्र सुरजा प्रभाती पत्नी स्व0 भोमाराम घीसाराम हरिराम पि0 भोमाराम जाति माली निवासी मोहम्मतदसरी पुत्र अब्दुल सलाम सीराजूदीन पि0 अब्दुल सलाम सिराजूदीन पिता अब्दूलहमीद व्यापारी 8 बीघा 3 बिश्वा राजेन्द्रकुमार दिनेशकुमार पि0 मंगला हि0ब0 2 बीघा 2 बिश्वा सा.देह खातेदार दुर्गाराम का हि0 1/6 राहिन भारतीय स्टेट बैंक नवलगढ के नाम रहन दर्ज रिकार्ड है ख.न. 445 रकबा 1.10 है0 की खातेदारी बालीदेवी पत्नी रामावतार हि0 2/3 मणीशंकर पुत्र मूलचन्द हि0 1/3 जाति माली। भूमि ख.न. 445 में रास्ते हेतु ख.न. 446 के पश्चिम सीमा के लगते रास्ते से 177 मीटर होना अंकित किया गया है। उक्त चालू रास्ते से भूमि ख.न. 446 में से 177 मीटर की दूरी है चालू रास्ता जिसमें ग्रेवल सडक बनी हुई है से भूमि ख.न. 445 में पहूंचने के ख.न. 446 रास्ते की दूरी 177 मीटर है जो नजरी नक्शे में होकर नवलगढ से बेरी सीमा तक के रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता आसपास नही है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा ख.न. 445 में आने जाने हेतु कोई रास्ता नही होना अंकित किया गया है।

उक्त संबंध में प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम दुर्जनपुरा संवत 2069 से 2072 का अवलोकन किया गया जिसमें ख.न. 445 रकबा 1.10 है0 की खातेदारी बालीदेवी पत्नी रामावतार हि0 2/3 व मणीशंकर पुत्र मूलचन्द जाति माली निवासी मोतीराम की ढाणी हि0 1/3 स्वीकृत दर्ज रिकार्ड है तथा ख.न. 446 की खातेदारी नाराणी पत्नी सुरजा दुर्गाराम पुत्र सुरजा प्रभाती पत्नी स्व0 गोपाल घीसालाल हरिराम पि0 भोमाराम जाति माली मोहम्मद सीरफ अब्दूल सकूर अब्दूल सलाम सीराजूदीन पिता अब्दूलहमीद व्यापारी 8 बीघा 3 बिश्वा मनोहरीदेवी पत्नी स्व0 मंगला पुष्पादेवी संतोषदेवी पुत्रियां मुगला हि0ब0हि0 2 बीघा 12 बिश्वा सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। इस संबंध में भूमि धारक तहसीलदार नवलगढ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भूमि ख.न. 445 में आने जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नही है। आवेदकगण द्वारा ख.न. 445 में आने जाने के लिये ख.न. 446 में से होकर रास्ता चाहा गया है। अतः ख.न. 445 में अन्य कोई वैकल्पि रास्ता नही होने से आवेदकगण का प्रार्थना पत्र न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम दुर्जनपुरा की भूमि ख.न: 445 में आने जाने के लिये ख.न. 446 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे ख.न. 446 के पश्चिम सीमा से लगते रास्ते तक 177 मीटर लम्बा व 12 फीट चौडा रास्ता का सिवाय चक रास्ता कायम किया जाता है। उक्त रास्ते के रकबा की डीएलसी दर की दोगूनी राशि प्रार्थीगण से जमा राजखजाने की जाकर अप्रार्थीगण को भुगतान किया जावे तथा अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान प्राप्त नही करने पर अमानता मद में जमा करवाई जावे तथा घोषित रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तक़मील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 29.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ